

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया - गांधीनगर

सॉफ्टवेक्स प्रमाणन के लिए जारी पंजीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया (एनएसटीपी)

सॉफ्टवेक्स प्रमाणन के लिए जारी पंजीकरण तीन साल की अवधि के लिए वैध है और पंजीकरण को नवीनीकृत करने के इच्छुक इकाइयों को <https://stpionline.stpi.in/unit/jindex.php> पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। सभी सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, आवेदन की हार्डकॉपी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत स्वसत्यापित सहायक दस्तावेजों के साथ एसटीपीआई को जमा करनी होगी।

आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले सहायक दस्तावेज:

- कवरींग लेटर।
- नवीनीकरण आवेदन विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित, मुहर सहित।
- कानूनी कागज पर निष्पादित लीज समझौते की प्रति।
- बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति।
- प्रारंभिक गैर एसटीपी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- पिछले सबमिशन के बाद से किसी भी बदलाव के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज।
 - आईईसी की प्रति।
 - पैन् की प्रति।
 - फॉर्म /18INC/32 और फॉर्म 22Dir.12 की प्रति।
 - एमओए और एओए की प्रति।
 - एडी विवरण के साथ बैंक प्रमाणपत्र की प्रति।

इकाई को पंजीकरणप्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से कम से कम दो महीने पहले गैर / एसटीपी पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए अनुरोध दायर करना होगा।

अनुमोदन प्रक्रिया :

आवेदन और सहायक दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण और दस्तावेज संतोषजनक पाए जाते हैं, तो पंजीकरण का नवीनीकरण जारी किया जाएगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए;

हमें मेल करें :GNR.EXIM@stpi.in

संपर्क करें 079-66748531, 32